an>

Title: Announcement regarding Exhibition on Constitution.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको दो बातें सूचित करनी हैं - एक बात तो यह है कि संसदीय ज्ञानपीठ का पार्लियामेंट लाइब्रेरी भवन में जो संविधान प्रदर्शनी लगायी गयी है, आज उसका अंतिम दिन है। जिन माननीय सदस्यों ने इसे नहीं देखा है, वे आज इसका अवलोकन कर सकते हैं। यह आज के दिन तक के लिए है।

â€¦(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्षा महोदय, मैं सरकार से स्पÂटीकरण चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात पहुंच जाएगी। आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदय, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देने के लिए अभी तैयार हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिए। पहले मेरी दो सूचनाएं हो जाएं, फिर मैं इसे कर देती हूं। मैं आपकी बात को समझ गयी। प्लीज़, बैठिए। मैं अपनी सूचना तो पूरी पढ़ लूं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने सूचना पढ़ने की शुरूआत की है। एक मिनट में मैं पूरी कर लूं। फिर आपको समय दूंगी। एक मिनट रूकिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक तो मैंने वहां की प्रदर्शनी के बारे में बताया कि जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है, वे इसे प्लीज़ देखें। इसमें पूरे संविधान के संदर्भ में कई सारी अच्छी चीज़ें रखी हैं।

साथ ही साथ, हम लोग आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और आज से पार्लियामेंट अनेक्सी बिल्डिंग में माननीय सदस्यों के लिए एक हेल्थ-कैम्प का आयोजन किया गया है। आप इसका भी अत्याधिक लाभ लें। यह दिनांक 04 दिसम्बर तक रहेगा। यह सूचना देनी थी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हम यही पूछना चाहते थे कि सदन ने लैंड एक्वीजीशन एक्ट के लिए जो कमेटी बनायी थी, उसका टाइम एक्सटेंड करने के लिए आपने इस सदन का परमिशन पूछ कर लिया है। लेकिन, आपको यह भी मालूम है, सदन को भी मालूम है और सारे देश की जनता को भी यह मालूम है कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि यह जो लैंड एक्वीजीशन एक्ट के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, उसमें हम राज्यों को छोड़ देंगे और उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगे। यह उनका आदेश था और 'मन की बात' थी। अब फिर इस कमेटी का टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो मन में संशय आता है कि क्या आप इस बिल को कायम करना चाहते हैं? उसका स्पÂटीकरण प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं या पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यह कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक वक्त तो उसे छोड़ देते हैं और फिर अंदर आपसे अपील करके इस पर एक्सटेंशन लेते हैं। यह अच्छा नहीं है। **पार्लियामेंट मेंबर्स और सारी जनता को हमेशा प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य पर भरोसा रहता है। अगर उनका भरोसा ही टूट गया तो फिर कल क्या होगा? इसीलिए मैं उनसे यह कहना चाहता हूं।**

माननीय अध्यक्ष : भरोसा नहीं टूटेगा।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबको इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, इसमें कोई संदिग्धता नहीं है। सरकार आने के बाद स्टेट्स के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में कुछ लोगों ने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के बारे में शंका व्यक्त की। मेरे ख्याल से 28 स्टेट्स ने अलग-अलग सुझाव दिए थे। उसके बाद सरकार ने तय किया कि एक नया कानून लाएंगे। वह कानून लाई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। वह कानून सदन में आया। कानून सदन में पारित हो गया। पारित होने के बाद कुछ लोगों ने आपत्ति व्यक्त की, राज्य सभा में कहा कि इसको कमेटी में भेजना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने इसको एक ...(व्यवधान) Subsequently, after approval, it was referred to a Joint Committee. The Joint Committee could not complete its work for a variety of reasons. I do not want to say anything on it because the Committees work independently. The Committee asked for two extensions which have been given.

In-between the Prime Minister also wanted to have wider consultations because some Parties and some people were protesting against the new Land Acquisition Bill. So, he called a meeting of the Niti Aayog. In the Niti Aayog, many Chief Ministers suggested that if there was a problem in evolving a broad consensus and getting legislation at the Centre, why do we not leave it to the States. That was the suggestion given by many of the Chief Ministers. Keeping that in mind the Prime Minister said that the Chief Ministers have opined like that and that is under consideration of the Government.

No final view has been taken. The matter is before the Committee. Once the Committee gives its recommendation a final view will be taken by the Government and then the matter will be brought to Parliament...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप चिल्लाते क्यों हैं?

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट बैठिए। सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे।

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let one person speak with one voice. There is no confusion....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह पद्धति नहीं है। आई ऐम सॉरी। बार-बार सब लोग एक साथ नहीं चिल्लायें। प्लीज बैठ जाइए। This is not the way. I am sorry. Let him complete first. Every

now and then all of you stand up and say something. This should not happen. Let him complete.

...(*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : कोई दो तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) आपने ईश्यू रेज किया, तो मैं स्पीकर मैडम से अनुमति लेकर उसके बारे में स्पÂटीकरण दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There is no confusion. The matter is before the consideration of the Committee. Once the Committee makes its recommendation, it will come to the Cabinet and then Cabinet will take a final view. We will then

come to the Parliament and then a final decision will be taken. In the meanwhile, the Prime Minister has only referred to a fact that a meeting of the Chief Ministers has taken place and they have opined like that...(*Interruptions*) You can have your views. The time is extended now. The Committee is functioning, Madam....(*Interruptions*)

12.14 hours

MATTERS UNDER RULE 377□

HON. SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.